रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022026-269796
CG-DL-E-03022026-269796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947
No. 91]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 96(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल में सीमा सुरक्षा बल, सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' योधक पद भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' योधक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट (राजभाषा) समुह 'क' योधक पद भर्ती नियम, 2015, -

क. नियम 7 में, जहां कहीं भी "सत्तावन वर्ष" शब्द हैं, उनके स्थान पर "साठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

ख. अनुसूची में, स्तंभ (11) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"प्रतिनियुक्ति :

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, -

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों: अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपये) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ; अथवा

(iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपये) में चार वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:-

(i) (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रही हो; अथवा

(आ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हो; अथवा

(इ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसका माध्यम हिंदी हो और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो अथवा स्नातक स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो; अथवा

(ई) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी और विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसका माध्यम अंग्रेजी हो और स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो अथवा परीक्षा का माध्यम हो; अथवा

(उ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हों अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा स्नातक स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो; और

(iii) हिंदी में पारिभाषिक *शब्दावली (*पारिभाषिक *शब्दावली संबंधी कार्य) के प्रयोग अथवा* अनुप्रयोग और *अंग्रेज़ी से हिंदी अथवा विलोमतः अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव,* जो *वरियतः केन्द्रीय* सरकार *अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालयों अथवा किसी मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत* विशेष*तः तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य से संबंधित हो; अथवा*

(iv) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी स्वायत्त निकाय, सांविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेज़ी में अध्यापन **अथवा** हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1- सीमा सुरक्षा बल में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600–151100 रुपये) में चार वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सूबेदार मेजर (हिंदी अनुवादक) पर बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। नियुक्ति हेतु यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन इस पद पर किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 2- अधिसूचना की तारीख को **सीमा सुरक्षा बल में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8** (47600–151100 रुपये) में **नियमित आधार पर** सूबेदार **मेजर (हिंदी अनुवादक) के संवर्गीय पद पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा की अवधि दो वर्ष ही बनी रहेगी।**

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. सी-17/03/2024/ कार्मिक-गोपनीय /सीसुब]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 769(अ), तारीख 9 अक्टूबर , 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 933(अ), तारीख 19 जुलाई, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2026

G.S.R. 96(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force, Assistant Commandant (Official Language) Group ‘A’ Combatised post Recruitment Rules, 2015 in the Border Security Force under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Assistant Commandant (Official Language) Group ‘A’ Combatised post Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Assistant Commandant (Official Language) Group ‘A’ Combatised post Recruitment Rules, 2015, -

(a) in rule 7, for the words “fifty-seven years” wherever they occur, the words “sixty years” shall be substituted;

(b) in the Schedule, in column (11), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

“Deputation:

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department: or

(ii) with two years regular service in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800); or

(iii) with four years regular service in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100); and

(b) possessing the following qualifications and experience, namely: -

(i) (A) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(B) Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(C) Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi as the medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or

(D) Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English as the medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or

(E) Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and

(ii) three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferable of technical or scientific literature under the Central Government or State Governments or an autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institution; or

(iii) three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or State Governments or an autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research or educational institution.

Note 1.- The departmental Subedar Major (Hindi Translator) in the Border Security Force in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with four years of regular service in the grade shall be considered alongwith outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2.- The eligibility service shall continue to be two years for persons holding the feeder post of Subedar Major (Hindi Translator) in the Border Security Force in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 3.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 4.- The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the date of receipt of applications.

[F. No. C-17/03/2024/Pers-Confdl/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.

Note. - The principal rules were published the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 769 (E), dated the 9th October, 2015, and last amended *vide* notification number G.S.R. 933(E), dated the 19th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA